रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937
No. 150] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(विदेष व्यापार महानिदेषालय)**

**सार्वजनिक सूचना**

नई दिल्ली, 04 जून, 2015

**सं. 16 /2015–2020**

**फा. सं. 01/94/180/333/एएम 15/पी सी 4.–**विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन अधिसूचित करते है। इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

1. पैरा 1.07 में संशोधन

पैरा 1.07 के संशोधित शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"1.07. ई डी आई और गैर–ई डी आई पत्तनों के लिए पृथक आवेदन पत्र।"

2. पैरा 2.47 (क) (i) और (ख) (i) में संशोधन

संशोधित पैरा 2.47 (क) (i) को इस प्रकार पढ़ा जायेगाः–

"(क) भेषज और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु अनुसंधान एवं विकास उपकरण

(i) पूर्ववर्ती लाइसेंसिग वर्ष के दौरान निर्यात के 25 प्रतिशत तक के एफ ओ बी मूल्य की वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात (सीमा–शुल्क विभाग की समय–समय पर यथासंषोधित अधिसूचना सं0 21/2012 दिनांक 17.03.2012 की सूची 28 में यथा विनिर्दिष्ट) की अनुमति दी जाएगी।

संशोधित पैरा 2.47 (ख) (i) को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

"(ख) कृषि रसायन क्षेत्र

(i) पिछले लाइसेंसिग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के 1 प्रतिषत तक के एफओबी मूल्य की दिनांक 17.03.2012 की सीमा–शुल्क विभाग की अधिसूचना सं. 21/2012 की सूची 28 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के षुल्क मुक्त आयात की अनुमति उस कृषि रसायन क्षेत्र की यूनिट को दी जाएगी जिसका पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निर्यात कारोबार हो।

3. पैरा 2.59 में संषोधन

संषोधित पैरा 2.59 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

''2.59 निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की सेवाएं

पूंजीगत माल के शेष जीवन काल और मूल्यांकन/खरीद मूल्य को प्रमाणित करने हेतु सीमा–शुल्क विभाग अथवा कोई अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार का प्राधिकरण परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिषिष्ट 2 झ में दी गई निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।''

4. पैरा 2.108 (घ) में संशोधन

संशोधित पैरा 2.108 (घ) को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

2.108 उदगम के नियम (गैर अधिमानी)

''(घ) उदगम प्रमाणन (गैर अधिमानी) प्रदान करने से पहले एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऊपर (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार माल का उदमग स्थान भारत है। प्रमाण–पत्र 2 ङ के अनुलग्नक II में दिए गए प्रारुप के अनुसार जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र पर कोई सुधार/फिर से टाइप न हो। परिशिष्ट 2 ङ में सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक एजेंसी अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट 2ङ के अनुलग्नक I के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत कर सकती है।

5. पैरा 4.37 (क) में संषोधन

पैरा 4.37 (क) में समुद्री पत्तन की सूची में ''पैराग्राफदीप'' को ''पारादीप'' पढ़ा जाए।

6. पैरा 4.38 में संषोधन

संशोधित पैरा 4.38 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

''4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

(i) 31 मार्च, 2009 को या उससे पहले जारी प्राधिकार पत्रों की किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। क्लबिंग के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पीआरसी द्वारा पहले ही विचार किए गए मामलों पर पुनः जांच नहीं की जाएगी। आवेदक यह घोषणा करेगा कि उसने किसी अग्रिम प्राधिकार पत्र को शामिल नहीं किया है जिसके लिए पीआरसी द्वारा पहले क्लबिंग हेतु अनुरोध पर विचार किया गया है।

(ii) क्लबिंग के लिए अनुरोध संबंधित आर ए जिसने प्राधिकार पत्र जारी किए हैं, के पास एएनएफ–4ग में किया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट 4झ के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग तथा 18 माह से कम की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) वाले प्राधिकार पत्रों को अनुमत नहीं किया जाएगा।

(iv) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा केवल इन प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु क्लबिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(vi) क्लबिंग हेतु प्राधिकार पत्रों को एक जैसी सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचनाओं के तहत जारी किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्राधिकार पत्र विभिन्न वित्तीय वर्षों से संबंधित हो सकते हैं।

(vii) (क) 05.06.2012 से पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(ख) 05.06.2012 को अथवा उसके बाद जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 18 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(ग) 05.06.2012 को या उसके बाद जारी प्राधिकार पत्र के साथ 05.06.2012 से पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 18 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(viii) पूर्ववर्ती प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि के बाहर किए गए निर्यातों की गणना, निम्नलिखित तरीके से समायोजन शुल्क की अदायगी पर नियमित की जाएगीः—

(क) जहां प्राधिकार पत्र 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए गए थे और पोत लदान की अंतिम तिथि 48 माह के अंदर हैः—

ऐसे मामलों में, पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने के 48 माह तक किए गए निर्यातों पर क्लबिंग के लिए विचार किया जाएगा। किए गए निर्यातों की गणना पूर्व के प्राधिकार के जारी होने की तिथि से 36 माह के बाद परन्तु 42 माह तक किए गए निर्यातों के 0.5 प्रतिशत एफ ओ वी मूल्य की दर के समायोजन शुल्क की अदायगी के अधीन होंगे। पूर्व के प्राधिकार पत्र की तिथि से 42वें से 48वें माह तक प्रभावी निर्यातों के लिए, समायोजन शुल्क किए गए निर्यातों के एफ ओ वी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होगा।

(ख) जहाँ प्राधिकार पत्र 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए जाते हैं और पोत लदान की अंतिम तारीख 30 माह के भीतर होती हैः—

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सबसे पहले के प्राधिकार पत्र की तारीख से 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से लगेगा।

(ग) जहाँ 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को क्लब किया जाता हैः

ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से लगेगा।

(ix) निर्यात उत्पाद हेतु विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया में यथा विहित न्यूनतम मूल्य वर्द्धन को कायम रखना अनिवार्य होगा। क्लबिंग किए जाने पर यदि मूल्य अथवा मात्रा में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत नियमित किया जाएगा। तथापि, विभिन्न मूल्य वर्द्धन मानदंड के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लबिंग किए जाने की अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।

(x) क्लबिंग के बाद, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार—पत्रों को एक प्राधिकार—पत्र माना जाएगा। प्राधिकार—पत्रों की क्लबिंग के पश्चात मूल्य वर्धन की गणना कुल सीआईएफ मूल्य और कुल एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

7. पैराग्राफ 4.42 में संशोधन

संशोधित पैराग्राफ 4.42 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"4.42. निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(क) किसी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से शुरू होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.42 में दी गई है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व में कमी के लिए 0.5 प्रतिशत के समायोजन शुल्क की अदायगी के अधीन निर्यात अवधि की समाप्ति की तिथि से छः माह तक निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार के लिए प्राधिकार—पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में प्रथम समयावधि बढ़ाने के पश्चात समयावधि को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते प्राधिकार–पत्र धारक ने यथानुपात आधार पर मात्रा और मूल्य के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो। यह पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिमाह की दर से समायोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आगे समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा तथापि, उप पैरा (ग) और इस उप पैरा में यथा प्रदत्त प्रत्येक छह माह के लिए समयावधि को केवल दो बार बढ़ाये जाने की अनुमति दी जा सकती है जो संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन है तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में निर्यात दायित्व की अवधि को पूरा करने की अवधि के समाप्त होने की तिथि से 12 माह से अधिक समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बार समयावधि को बढ़ाने का आवेदन करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार/सनदी अभियंता से प्राप्त प्रमाण पत्र को क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि अनुप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

(घ) तथापि, प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के परिशिष्ट 4ञ अथवा प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 के परिशिष्ट 30 क के अंतर्गत सूचीबद्ध निविष्टि के आयात हेतु जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ङ.) जब भी किसी उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक लगायी जाती है, तो प्रतिबंध लगाए जाने के पूर्व पहले से ही जारी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि किसी समायोजन शुल्क के बगैर प्रतिबंध की अवधि समतुल्य अवधि के लिए स्वतः ही विस्तारित हो जाएगी।"

8. पैराग्राफ 4.85 में संशोधन

संशोधित पैरा 4.85 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

"4.85 अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात

(क) प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया मूल्य वर्धन, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के नियमन के लिए मानदंडों को छोड़कर सामान्यतः इस स्कीम के लिए लागू होगी रत्न एवं आभूषण मदों के लिए मूल्य वर्धन इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 के अनुसार होगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के अधीन आयात की प्रत्येक खेप की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करना आवश्यक होगा। तथापि सोना, प्लेटिनम और चांदी से बने फाइंडिंग, माउन्टिंग के आयात और आभूषण के निर्यात की तिथि से 180 दिन निर्यात दायित्व अवधि होगी। निर्यात दायित्व अवधि में इसके आगे विस्तार अनुमत नहीं होगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक प्रत्यक्ष आयात के एवज में नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, नामित एजेंसी प्रत्यक्ष आयात के लिए अवैध प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि और सीमा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिलिपि दोनों प्रस्तुत करेगी।"

9. पैरा 7.02 (ग) में संशोधन

संशोधित पैरा 7.02 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

7.02. लाभ का दावा करने के लिए मानदंड

"(ग) अवैधीकरण पत्र के मद्दे ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक को वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में निधारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। चूंकि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अंतिम उत्पाद शुल्क (टीईडी) का भुगतान करने से छूट प्राप्त नहीं है, अतः ऐसे अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवैधीकरण पत्र के अनुसार किया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.08 के अनुसार जारी एआरओ के मद्दे ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में टीईडी की वापसी की अनुमति दी जाएगी। यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्राप्त नहीं किया जाता है, तो परिणामी उत्पाद में उपयोग किए गए शुल्क अदा की गई निविष्टियों पर शुल्क वापसी अनुमत की जा सकती है।"

10. पैरा 9.10 में संशोधन आवेदन का समयबद्ध निपटानः

इस पैरा के तहत तालिका में क्रम सं. vii की श्रेणी के तहत आवेदनों के निपटान की समय सीमा को संशोधित किया जा रहा है और क्रम सं0 xv पर नई श्रेणी को जोड़ा जा रहा है।

| क्रम सं. | आवेदन की श्रेणी | निपटान के लिए समय सीमा (कार्य दिवसों में) |
|---|---|---|
| vii | बी जी/एल यू टी की स्वीकृति | 3 |
| xv | अध्याय 3 की स्कीम | 3 |

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 4th June, 2015

**No. 16/2015-2020**

**F. No. 01/94/180/333/AM15/PC4.—**In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the amendments to Handbook of Procedures of FTP 2015-20. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2015.

1. **Amendment in paragraph 1.07**

Amended heading of Para 1.07 shall read as under:-

"1.07. Separate applications from EDI and Non EDI ports".

2. **Amendment in paragraph 2.47(A)(i) and (B)(i)**

Amended paragraph 2.47(A)(i) shall read as under:-

"(A) **R&D Equipment for Pharmaceuticals and Bio-technology Sector**

(i) Duty free import of goods (as specified in list 28 of **Customs notification No. 21/2012 dated 17.3.2012,** as amended from time to time) upto 25% of FOB value of exports during preceding licensing year, shall be allowed."

Amended paragraph 2.47(B)(i) shall read as under:-

"(B) **Agro-Chemicals Sector**

(i) Duty free imports of goods as specified in list 28A of **Customs notification No. 21/2012 dated 17.3.2012,** upto 1% of FOB value of exports made during preceding licensing year, shall be allowed to agro chemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year."

3.**Amendment in paragraph 2.59**

Amended paragraph 2.59 shall read as under:-

**"2.59. Services of Inspection and Certification Agencies**

Customs or any other Central or State Government authority may avail of services of Inspection and Certification Agencies in **Appendix 2 I** of the Appendices and Aayat Niryat Forms, for certifying residual life as well as valuation / purchase price of capital goods."

4. **Amendment in paragraph 2.108(d)**

Amended paragraph 2.108(d) shall read as under:-

**2.108 Rules of Origin (Non-Preferential)**

"(d). The agency would ensure that goods are of Indian origin as per criteria defined in **(a) above** before granting CoO (non preferential). Certificate would be issued as per format given in **Annexure-II** to **Appendix 2 E**. It should be ensured that no correction/re-type is made on certificate. Any agency desirous of enlistment in **Appendix–2 E** may submit their application as per **Annexure-I to Appendix 2 E** to DGFT."

5. **Amendment in paragraph 4.37(a)**

In Paragraph 4.37(a), in the list of **Sea Ports** "Paragraphdeep" may be read as **"Paradeep".**

6. **Amendment in paragraph 4.38**

Amended paragraph 4.38 shall read as under:-

**"4.38. Facility of Clubbing of Authorisations**

(i) **No clubbing of Authorisations issued on or before 31st March, 2009 shall be allowed. Cases already considered by PRC shall not be re-examined by RA under Para 4.38 of HBP for the purpose of clubbing. Applicant shall declare that he has not included any Advance Authorisation in respect of which request for clubbing has been considered earlier by PRC.**

(ii) **Request for clubbing shall be made in ANF - 4C to the concerned RA who has issued the Authorisations.**

(iii) Clubbing of authorisations covered under Appendix **4 J** and authorisations with EOP less than 18 months shall not be allowed.

(iv) Facility of clubbing of Advance Authorisations shall be available only for redemption / regularisation of such authorisations and no further import or export shall be allowed.

(v) Facility of clubbing shall not be available for Advance Authorisation for Annual Requirement.

(vi) For clubbing, Authorisations are required to have been issued under similar Customs notifications. Such Authorisations may pertain to different financial years.

(vii) (a) **Clubbing of Authorisations issued before 05.06.2012:**

**Only such Advance Authorisations shall be clubbed which have been issued within 36 months from the date of issue of the earliest Authorisation.**

**(b) Clubbing of Authorisations issued on or after 05.06.2012:**

**Only such Advance Authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of earliest Authorisation.**

**(c) Clubbing of Authorisation issued before 5.6.2012 with authorisation issued on or after 5.6.2012:**

**Only such Advance Authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of the earliest Authorisation.**

(viii) **Accounting of exports made outside the export obligation period of earliest Authorisation shall be regularized, on payment of composition fee, in the following manner:**

**(a) Where Authorisations were issued with initial obligation period of 36 months and last date of shipment is within 48 months:**

**In such cases, exports made upto 48 months from the date of issuance of earliest authorization shall only be taken into consideration for clubbing. Accounting of exports made shall be subject to payment of a composition fee @ 0.5% of FOB value of exports made after 36 months from the date of issue of earliest authorisation but upto 42 months. For the exports effected after 42nd month till 48th month from the date of earliest Authorisation, the composition fee will be @ 0.5% per month of FOB value of exports made.**

**(b) Where Authorisations are issued with initial obligation period of 18 months and last date of shipment is within 30 months:**

**In such cases, exports made upto 30 months from the date of issuance of earliest authorization only will be taken into consideration for clubbing. Accounting of exports shall be subject to payment of a composition fee @ 0.5% of FOB value of exports made after 18 months from the date of earliest authorisation but upto 24 months. For the exports effected after 24th month till 30th month from the date of earliest Authorisation, the composition fee will be @ 0.5% of FOB value of exports made.**

**(c) Where Authorisation(s) with initial obligation period of 36 months is clubbed with authorization(s) with initial obligation period of 18 months.**

**In such cases, exports made upto 30 months from the date of issuance of earliest authorization only will be taken into consideration for clubbing. Accounting of exports shall be subject to payment of a composition fee @ 0.5% of FOB value of exports made after 18 months from the date of earliest authorisation but upto 24 months. For the exports effected after 24th month till 30th month from the date of earliest Authorisation, the composition fee will be @ 0.5% of FOB value of exports made.**

**(ix)** Minimum value addition as prescribed in FTP and Procedures for the export product will be required to be maintained. **Upon clubbing, if shortfall in value or quantity is noticed, the same shall be regularized under the provisions of Para 4.49 of HBP. However, clubbing of authorisations issued with different minimum value addition criteria shall not be allowed by RA.**

(x) After clubbing, authorisations shall for all purposes, be deemed to be one Authorisation. The value addition would be calculated on the basis of total CIF and total FOB arrived at after clubbing the Authorisations."

7. **Amendment in paragraph 4.42**

Amended paragraph 4.42 shall read as under:-

**"4.42. Export Obligation (EO) Period and its Extension**

(a) **Period of EO fulfilment** under an Advance Authorisation shall commence from date of issue of Authorisation, unless otherwise specified. **The period of EO fulfilment is given in paragraph 4.22 of FTP.**

(b) Regional Authority may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO period upto six months from the date of expiry of EO period subject to payment of composition fee of 0.5% of the shortfall in EO. Authorisation holder will have to submit a self declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.

(c) Request for further extension of six months after first extension as in (b) above can be considered by Regional Authority, provided Authorisation holder has fulfilled minimum 50% export obligation in quantity as well as in value, on pro-rata basis. This will be subject to payment of composition fee @ 0.5% per month on unfulfilled FOB value of export obligation. No further extension shall be allowed by Regional Authority. This provision shall also be applicable to Advance Authorisations issued during FTP 2009-2014. **However, only two extensions of six months each as given in sub-para (c) and in this sub-para can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period**. At the time of filing application for second extension, authorisation holder will have to submit a certificate to RA from an independent Chartered Accountant/Chartered Engineer certifying that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.

(d) However, extension in EO period in respect of an Advance Authorization issued for import of an input listed under Appendix 4J of HBP 2015-2020 **or Appendix 30A of Hand Book of Procedures 2009-14** shall not be permitted by RA.

(e) Whenever a ban / restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of Advance Authorisation already issued prior to imposition of ban, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban, without any composition fee."

8. **Amendment in paragraph 4.85**

Amended paragraph 4.85 shall read as under:-

**"4.85 Exports against Advance Authorisation**

(a) Procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter 4 of Hand Book of Procedures shall generally apply to this scheme except norms for value addition, EO period and regularization of default. Value addition for Gems and Jewellery items shall be as per paragraph **4.61** of this Handbook of Procedures.

(b) EO will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However EO period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in EO period will be allowed.

(c) Advance Authorisation holder may obtain gold /silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, nominated agency shall make, both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports."

9. **Amendment in paragraph 7.02(c)**

Amended paragraph 7.02(c) shall read as under:-

**7.02. Criteria for claiming benefits**

"(c) In respect of supply of goods to an EPCG Authorisation holder, against Invalidation Letter, application for Advance Authorisation / DFIA shall be made as per procedures given in Chapter 4 of HBP. **Since supply of goods to an EPCG Authorization holder is not exempted from payment of TED, claim for such TED refund may be made to the RA concerned, as per the invalidation letter**. In respect of supply of goods to EPCG Authorisation holder against ARO, issued as per Paragraph 5.08 of HBP, refund of TED shall be allowed. If Advance Authorisation / DFIA is not obtained for duty free inputs, Duty drawback shall be allowed on duty paid inputs used in the resultant product."

10. **Amendment in paragraph 9.10 Time Bound Disposal of Applications.**

In the table under this paragraph, time limit for disposal of applications under category at **Sl. No. vii** is being modified and a new category at **Sl. No. xv** is being added as per details below:

| S. No. | Category of Application | Time Limit For Disposal (in working days) |
|---|---|---|
| vii | Acceptance of BG/LUT | **3** |
| **xv** | **Schemes of Chapter 3** | **3** |

**Effect of this Public Notice**: Amendments to the Handbook of Procedures of FTP 2015-2020, are hereby notified which shall be deemed to have come into effect from 1st April, 2015.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.